

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
(सिविल विविध अपीलीय क्षेत्राधिकार)

विविध अपील संख्या 249/2018

मैसर्स न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय नंबर 1, चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने, मेन रोड, रांची, डाकघर- रांची, पुलिस स्टेशन- लोअर बाजार, जिला-रांची, अब पी.पी कम्पौंड, डाकघर- रांची, थाना- चुटिया, जिला-रांची

.... विपरीत पार्टी नंबर 1 / अपीलकर्ता

बनाम

1. दमयंती देवी, पति - स्वर्गीय राज कुमार
2. पायल कुमारी (नाबालिग), पिता- स्वर्गीय राजकुमार, प्रतिवादी नंबर 2, नाबालिग होने के नाते उसकी मां और प्राकृतिक अभिभावक, दमयंती देवी, प्रतिवादी नंबर 1, दोनों निवासी -गांव+डाकघर और थाना -तमाड़, जिला-रांची
3. राम पियारी देवी, पति- स्वर्गीय लक्ष्मण प्रजापति
4. राधा कुमार, पिता स्वर्गीय लक्ष्मण प्रजापति
5. राखी कुमारी, पिता- स्वर्गीय लक्ष्मण प्रजापति
6. तेजेंद्र कुमार, पिता-स्वर्गीय लक्ष्मण प्रजापति

सभी निवासी गांव-छपन सेट, कुम्हार टोली, थाना और डाकघर-डोरंडा, जिला-रांची

.... आवेदक/उत्तरदाता

7. शशि कुमार भगत, पिता- एम.पी.भगत, निवासी- लातेहार , थाना एवं जिला-लातेहार, वर्तमान में मेट्रो गली, देवी मंडप रोड,डाकघर- रातू रोड, थाना-सुखदेवनगर,रांची. केयर ऑफ /सुबर्तो मुखर्जी

(ट्रक मालिक ट्रक पंजीकरण संख्या -बी.आर. -14 जी -1981)

8. श्री राजकुमार गुप्ता, पिता- श्री मोती लाल गुप्ता, निवासी -तमाड़, थाना और डाकघर-
तमाड़, जिला-रांची

(मिनी ट्रक 407 का मालिक, पंजीकरण संख्या JH-01-8161)

9. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसएन गांगुली रोड, डाकघर- जीपीओ, थाना-
कोतवाली, जिला-रांची

..... उत्तरदाता/विपक्षी पक्ष

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ता के लिए:

श्री मनीष कुमार, एडवोकेट

श्री अमित मिश्रा, एडवोकेट

प्रतिनिधि संख्या 3-6 के लिए:

श्री निखिल रंजन, एडवोकेट

प्रतिनिधि संख्या 8 के लिए:

श्री प्रत्यूष कुमार, अधिवक्ता

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एडवोकेट

प्रतिनिधि संख्या 9 के लिए: श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट।

निर्णय

सी.ए.वी. संख्या 07/12/2023

घोषित दिनांक 06/03/2024

पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

2. यह विविध अपील नामित अपीलकर्ता-न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 2009 के मोटर दुर्घटना दावा मामला संख्या 144 में पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना

दावा न्यायाधिकरण, रांची द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए पसंद की गई है, जिसके तहत दावेदारों द्वारा स्थापित दावा मामले की अनुमति दी गई थी, जिसमें 1305,200/- रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई थी, @ 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ अवार्ड की तारीख से इसकी प्राप्ति तक।

3. नोटिस तामील होने पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने केवल इस आधार पर आक्षेपित पुरस्कार पर हमला किया कि इस मामले में घटना का तरीका इस अर्थ में बहुत अजीब है कि मृतक अर्थात् राज कुमार प्रजापति एक मिनी टाटा ट्रक 407 का चालक था, जिसका पंजीकरण संख्या जेएच- 01-8161 था, जबकि वाहन बहुत तेज और लापरवाही से चला रहा था और दूसरे स्थिर वाहन को धराशायी कर दिया और जैसे ही उसने अचानक ब्रेक लगाया, इसी बीच एक अन्य ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या बी.आर.-14जी-1981 है, को नियंत्रित नहीं किया जा सका और उक्त मिनी टाटा ट्रक 407 को पीछे से टक्कर मार दी और इस दुर्घटना के कारण मिनी टाटा ट्रक 407 के चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उक्त वाहन का क्लीनर घायल हो गया और इलाज के लिए रिम्स, रांची भेज दिया गया।
5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह विशुद्ध रूप से अंशदायी लापरवाही का मामला है, लेकिन विद्वान ट्रिब्यूनल ने समग्र लापरवाही के संबंध में मुद्दा संख्या 4 तैयार किया है और मिनी ट्रक और ट्रक असर संख्या क्रमशः 01 एस -8161 और बी.आर. -14 जी -1981 के दोनों पहलुओं की ओर से लापरवाही की डिग्री और अवलोकन का पता लगाकर इस मुद्दे पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की ठीक से सराहना करने में विफल रहा है।
6. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते समय ट्रिब्यूनल इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि दोनों बीमाकर्ताओं की देयता 50% प्रत्येक के अनुपात में थी और तदनुसार दावेदारों को वाहनों के प्रत्येक बीमाकर्ता को 25,000/- का भुगतान किया गया था।
7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे बताया है कि अंशदायी लापरवाही और समग्र लापरवाही के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। यह स्थापित कानून है कि संयुक्त लापरवाही के मामले में, देयता संयुक्त अपकृत्य करने वाले में से किसी एक के कंधे पर लाद दी जा

सकती है, लेकिन अंशदायी लापरवाही के मामले में मुआवजे का दावा करने वाला व्यक्ति, जो दुर्घटना के घटित होने में योगदान देता है, मुआवजे की राशि को मृतक या स्वयं घायल व्यक्ति की लापरवाही की सीमा और प्रतिशत तक कम करना होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान ट्रिब्यूनल ने उचित भावी और सही तरीके से मामले की उचित रूप से सराहना नहीं की है और मृतक की अंशदायी लापरवाही के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किए बिना, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता कंपनी को ब्याज के साथ मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करने की देयता के साथ जोड़ा है जो इस अपील के परिणाम के अधीन इस माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दावेदारों को भुगतान किया गया है। इसलिए, इस अपील की अनुमति दी जा सकती है या दुर्घटना के घटित होने में स्वयं मृतक की अंशदायी लापरवाही के बारे में मुद्दा तैयार करने के लिए संबंधित ट्रिब्यूनल को मामला वापस भेजा जा सकता है और इसकी सीमा और प्रतिशत ताकि अपीलकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्कों का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि ट्रिब्यूनल ने बहुत समझदारी से और उपयुक्त रूप से मामले के पूरे पहलुओं को अवगत कराया और सराहना की और सही निष्कर्ष पर पहुंचे। इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है, इस अपील के माध्यम से किसी भी हस्तक्षेप के लिए आक्षेपित पुरस्कार, जिसे खारिज किया जाना उचित है।
9. यहां मामला इस मामले में शामिल वाहनों के दोनों चालकों की पारस्परिक देयता के विस्तार तक सीमित है, जो आनुपातिक तरीके से मुआवजे की राशि की लापरवाही और श्रेय के अनुपात को निर्धारित करने के उद्देश्य से है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के संबंध में विद्वान ट्रिब्यूनल ने प्रासंगिक मुद्दे संख्या 3 और 4 का निपटारा किया है जो निम्नानुसार है: -

3) क्या मृतक राजकुमार प्रजापति की मृत्यु के परिणामस्वरूप कथित वाहन दुर्घटना हुई थी, जो रजिस्टर्ड नं. BR-14G-8161 जल्दबाजी और लापरवाही से?

4) क्या यह उल्लंघन करने वाले ट्रक रजिस्टर्ड No. बी. आर.-14 जी-1981 और मिनी ट्रक रजिस्टर्ड नंबर से जुड़े समग्र लापरवाही का मामला है। जेएच -01 एस- 8161, यदि हां, तो किस हद तक?

10. उपर्युक्त दो मुद्दों का निर्वहन करते समय, विद्वान ट्रिब्यूनल ने इस मामले में पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है और यह देखा है कि दस्तावेज एक्सट्रस के अवलोकन से। 1 (दोनों चालकों के विरुद्ध दिनांक 07.01.2009 को स्थापित बुंडू थाना वाद सं.05/09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति। जे.एच.-01-8161 और ट्रक असर नंबर बी.आर. -14 जी -1981 क्रमशः भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304 ए के तहत अपराधों के लिए और विस्तार 2 उपरोक्त पुलिस मामले की (चार्जशीट की प्रमाणित प्रति) है, ऐसा प्रतीत होता है कि कथित दुर्घटना के लिए दोनों वाहनों के चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन मुखबिर सुखराम लोहरा की फर्दबयान की सामग्री के अनुसार, चौकीदार, जो दुर्घटना का चश्मदीद गवाह है और झूटी पर था, ने कहा है कि मिनी ट्रक का चालक जिसका नाम राजकुमार प्रजापति है, ने सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक को फिर से टक्कर मार दी है, तब तक वह जीवित था, लेकिन उसके बाद रेग नं. बी.आर.-14 जी.-1981 को चालक ने बहुत ही लापरवाही से और लापरवाही से चलाया जा रहा था जिससे मिनी ट्रक के चालक ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे मिनी ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए, इन परिस्थितियों में, कथित दुर्घटना से बचने का अवसर केवल आरोप-पत्रित चालक, अर्थात् चैतन्य उरांव के लिए उपलब्ध था, लेकिन वह उक्त ट्रक को लापरवाही से चला रहा था और ट्रक को नियंत्रित नहीं कर सका और मृतक द्वारा संचालित दूसरे ट्रक से टकरा गया जिससे चालक की मृत्यु हो गई।

इस प्रकार, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह वाहन मिनी ट्रक जिसमें पंजीकरण संख्या जे.एच.-01-8161 शामिल है और मृतक की मृत्यु का मामला नहीं है, अर्थात् राज कुमार प्रजापति की मृत्यु केवल लापरवाही और लापरवाही से उल्लंघन करने वाले वाहन बी.आर.-14 जी-1981 को चलाने के कारण हुई कथित वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी और इसका मालिक/बीमाकर्ता मृतक की मृत्यु के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तदनुसार, दोनों मुद्दों का निर्णय आवेदकों के पक्ष में और विरोधी पक्षों के विरुद्ध किया गया।

11. चूंकि इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद का विषय इस प्रश्न के निर्णय तक ही सीमित है कि क्या यह मामला अंशदायी लापरवाही या समग्र लापरवाही का मामला है, यदि हां, तो दुर्घटना के घटित होने में योगदान देने वाले मृतक की ओर से लापरवाही का अनुपात क्या है।

12. "योगदान लापरवाही और समग्र लापरवाही के बीच अंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.ओ. एंथनी बनाम कारवर्नन और अन्य के 2008 के मामले में प्रतिपादित किया गया है। 3 एससीसी 748, इस मामले में अपीलकर्ता केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ काम करने वाला ड्राइवर था। दुर्घटना की तारीख को, वह पलक्कड़ से त्रिचूर तक केरल एसआरटीसी बस (केएल 15/1074) चला रहा था। जब उसकी बस कन्नन्नोर के पास थी, तो पहले प्रतिवादी द्वारा संचालित एक निजी बस (के.एल. 9ए 3456) विपरीत दिशा से आई और आमने - सामने की टक्कर हुई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को दाहिनी फीमर के फ्रैक्चर सहित चोटें आईं। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना दोनों वाहनों के चालकों की समग्र लापरवाही के कारण हुई और यह नहीं कहा जा सकता है कि दुर्घटना केवल पहले प्रतिवादी की लापरवाही के कारण हुई। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि चूंकि दुर्घटना दोनों वाहनों के चालकों की अंशदायी और समग्र लापरवाही के कारण हुई, इसलिए दायित्व पचास (यानी प्रत्येक 50%) होना चाहिए। तदनुसार, दोनों बीमा कंपनियों द्वारा अवार्ड राशि को 50% तक संतुष्ट करने का निदेश दिया गया था। एक अपील में, उच्च न्यायालय ने लापरवाही के संबंध में निष्कर्ष को परेशान नहीं किया, बल्कि लापरवाही के विभाजन के संबंध में ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा करते हुए मुआवजे की राशि में वृद्धि की, क्योंकि यह समग्र लापरवाही का मामला था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस धारणा पर कार्यवाही करते समय कि संयुक्त लापरवाही और अंशदायी लापरवाही समान हैं, कई अधिकरणों द्वारा अधिकरण में एक सामान्य त्रुटि हुई। दो या दो से अधिक वाहनों से जुड़ी दुर्घटना में, जहां एक तीसरा पक्ष (शामिल वाहनों के ड्राइवरों और / या मालिकों के अलावा) नुकसान या चोटों के लिए क्षतिग्रस्त होने का दावा करता है, यह कहा जाता है कि उन वाहनों के चालकों की समग्र लापरवाही के संबंध में मुआवजा देय है। लेकिन ऐसी दुर्घटना के संबंध में, यदि व्यक्तिगत चोटों के लिए स्वयं चालकों में से एक द्वारा, या किसी चालक के

कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी मृत्यु के कारण नुकसान के लिए, या वाहनों में से किसी एक के मालिक द्वारा उसके वाहन को नुकसान के संबंध में दावा किया जाता है, तो जो मुद्दा उठता है वह सभी ड्राइवरों की समग्र लापरवाही के बारे में नहीं है, लेकिन संबंधित चालक की लापरवाही के बारे में।

13. यह आगे आयोजित किया गया था कि "समग्र लापरवाही" दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ओर से लापरवाही की ओर से लापरवाही को संदर्भित करती है। जहां कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक गलत काम करने वालों की लापरवाही के परिणामस्वरूप घायल हो जाता है, यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन गलत काम करने वालों की समग्र लापरवाही के कारण घायल हुआ था। ऐसे मामले में, प्रत्येक गलत काम करने वाला संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से घायल लोगों के लिए पूरे नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है और घायल व्यक्ति के पास उन सभी या उनमें से किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प होता है। ऐसे मामले में, घायल को प्रत्येक गलत काम करने वालों की जिम्मेदारी को अलग-अलग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, न ही अदालत के लिए प्रत्येक गलत काम करने वाले की देयता की सीमा को अलग से निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरी ओर, जहां किसी व्यक्ति को चोट लगती है, आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से लापरवाही के कारण, और आंशिक रूप से उसकी अपनी लापरवाही के परिणामस्वरूप, तो घायल की ओर से लापरवाही जिसने दुर्घटना में योगदान दिया, उसे उसकी अंशदायी लापरवाही कहा जाता है। जहां घायल किसी लापरवाही का दोषी है, नुकसान के लिए उसका दावा केवल उसकी ओर से लापरवाही के कारण विफल नहीं होता है, बल्कि चोटों के संबंध में उसके द्वारा वसूल की जाने वाली क्षति उसकी अंशदायी लापरवाही के अनुपात में कम हो जाती है।

इसलिए, जब दो वाहन दुर्घटना में शामिल होते हैं, और ड्राइवरों में से एक लापरवाही का आरोप लगाते हुए दूसरे चालक से मुआवजे का दावा करता है, और दूसरा चालक लापरवाही से इनकार करता है या दावा करता है कि घायल दावेदार खुद लापरवाही कर रहा था, तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावेदार लापरवाह था और यदि हां, तो क्या वह दुर्घटना के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से जिम्मेदार था और उसकी जिम्मेदारी की सीमा, यानी उनकी अंशदायी लापरवाही। इसलिए, जहां घायल स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी है, "समग्र लापरवाही" का सिद्धांत लागू नहीं होगा

और न ही कोई स्वचालित निष्कर्ष हो सकता है कि लापरवाही 50:50 थी जैसा कि इस मामले में माना गया है। ट्रिब्यूनल को अपीलकर्ता की अंशदायी लापरवाही की सीमा की जांच करनी चाहिए थी और इस तरह समग्र लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के बीच भ्रम से बचना चाहिए था।

14. अब इस मामले के तथ्य पर वापस आते हुए, एफआरआई (एक्सटेंशन.1) से यह स्पष्ट है कि 06.01.2009 को शाम को एक ट्रक और सूमो वाहन के बीच दुर्घटना हुई, जिसके कारण सड़क अवरुद्ध हो गई। मुखबिर सुखराम लोहरा घटना स्थल पर चौकीदार के रूप में तैनात था जिसका आरोप है कि कि लगभग रात के एक घंटे में रजिस्टर्ड नंबर जेएच-01एस-8161 वाला मिनी ट्रक अपने चालक द्वारा बहुत ही तेज और लापरवाही से पीछे से खड़े ट्रक में धराशायी हो गया, जिसके कारण मिनी ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इस बीच, एक अन्य ट्रक रजिस्टर्ड नंबर बी.आर.-14 जी-1981 भी क्षतिग्रस्त हो गया। जो चालक द्वारा बहुत ही तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप चालक राजकुमार प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई और क्लीनर, जो घायल भी था, को इलाज के लिए रिम्स, रांची भेजा गया। मुखबिर द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दुर्घटना उनके संबंधित वाहनों के लापरवाही से चलने के कारण हुई।

यह आगे प्रतीत होता है कि आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और 304 ए के तहत पंजीकृत केस नंबर 05/ 2009 के बुंड़ थाना में दिनांक 07.01.2009 के तहत पुलिस मामले की जांच के बाद, ट्रक के चालक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम रजिस्टर्ड नंबर बी.आर. -14 जी - 1981 था। हालांकि, यह पाया गया कि दुर्घटना दोनों वाहनों के चालक के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई है। चूंकि मिनी ट्रक के चालकों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए आरोप पत्र केवल चालक चैतन्य उरांव के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था।

15. यह आगे बताता है कि दावेदारों की ओर से, चार गवाहों की जांच की गई थी ए.डब्ल्यू 1 दमयंती देवी, मिनी ट्रक के मृतक चालक की पत्नी, जो घटना की चश्मदीद गवाह नहीं हैं, हालांकि उसने कहा है कि उक्त मिनी ट्रक चलाते समय उसके पति की ओर से कोई गलती नहीं थी, लेकिन माना जाता है कि वह चश्मदीद गवाह नहीं हैं और दुर्घटना के होने के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। ए.डब्ल्यू. 2 अजय कुमार, जो

दुर्घटना के चश्मदीद गवाह भी नहीं हैं और उन्होंने जिरह में स्वीकार किया है कि हलफनामा उनके डिक्लेशन पर तैयार नहीं किया गया था और इसमें क्या है, वह नहीं जानते हैं। एडब्ल्यू. 3 लखन सोनी भी घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, उन्होंने अपनी जिरह में कहा कि दुर्घटना ट्रक के चालक द्वारा तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई। वाहन सं बी.आर.-14जी-1981 ने मिनी ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी जिससे चालक की मृत्यु हो गई। एडब्ल्यू 4 मृतक की मां, वह भी घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है।

16. ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि विद्वान ट्रिब्यूनल ने गवाहों की मौखिक गवाही पर चर्चा करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि कोई भी गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और मुद्दा संख्या 3 और 4 पर अपने फैसले को केवल एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर आधारित करता है जो इस मामले में बिना आपत्ति के प्रदर्शित किए गए हैं, इसलिए, एफआईआर की सामग्री को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है जिसे वर्तमान चरण में विचलित नहीं किया जा सकता है।
17. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एसबी सिन्हा और प्रेमलता शुक्ला और अन्य के मामले में। (2007) 13 एससीसी 476 में रिपोर्ट की गई थी जिसमें दुर्घटना उस समय हुई जब एक टेम्पो ट्रैक्स एक ट्रक से टकरा गया था और ट्रक के चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। तथापि, उक्त ट्रक का पता नहीं चल सका इस कारण से मामला बंद कर दिया गया था। चालक, मालिक और बीमा कंपनी, जिसके साथ टेम्पो ट्रैक्स का बीमा किया गया था, के खिलाफ दावा याचिका को ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि टेम्पो ट्रैक्स का चालक लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था। उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि एफआईआर कानूनी रूप से साबित नहीं हुई है, टेम्पो ट्रैक्स के चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया जाना चाहिए।

यह माना गया कि एक बार दस्तावेजों की सामग्री का एक हिस्सा साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, तो रिकॉर्ड पर लाने वाले पक्ष को मुड़ने और यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसके बाकी हिस्से में निहित अन्य सामग्री साबित नहीं हुई थी। दोनों पक्षों ने एफआईआर पर भरोसा किया है जिसे एक्सटेंशन के रूप में चिह्नित

किया गया था क्योंकि दोनों पक्ष एफआईआर पर भरोसा करना चाहते थे। एक बार जब पार्टियों द्वारा एफआईआर के एक हिस्से पर भरोसा किया गया था, तो ट्रिब्यूनल को दूसरे हिस्से पर भरोसा करने में कोई अवैधता नहीं कहा जा सकता था, भले ही दस्तावेज की सामग्री साबित हो या नहीं। यदि विषय-वस्तु सिद्ध हो जाती तो उस पर केवल उसके एक भाग पर निर्भर रहने का प्रश्न ही नहीं उठता, न कि शेष भाग पर, तकनीकी आधार पर कि वह विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ है, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

18. वर्तमान मामले में एफआईआर और चार्जशीट की सामग्री, जो दोनों पक्षों द्वारा एक स्वीकृत दस्तावेज है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मिनी ट्रक का चालक (मृतक होने के बाद) वाहन चला रहा था और लापरवाही से एक अन्य खड़े वाहन में धराशायी हो गया था। हालात यह भी स्पष्ट हैं कि विशेष समय पर, रात का एक घंटा था और उसी दिन शाम को होने वाली एक और दुर्घटना के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई थी।
19. इसी तरह, चैंटनी उरांव द्वारा चलाया जा रहा एक अन्य ट्रक भी बहुत तेज और लापरवाही से दुर्घटना को रोकने का अवसर था, लेकिन वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और मृतक के मिनी ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। यहां इस मामले में, मौत किसी यात्री या किसी अन्य तीसरे पक्ष की नहीं है बल्कि सभी चालक स्वयं बहुत ही लापरवाही और जल्दबाजी से वाहन चला रहे हैं, इसलिए, यह मामला टी.ओ अन्थोनी (सुप्र) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के साथ पूरी तरह से कवर किया गया है। यह संबंधित वाहनों के दोनों चालकों की अंशदायी लापरवाही का मामला है न कि विद्वान अधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संयुक्त लापरवाही का मामला है।
20. अंशदायी लापरवाही के मामले में, संयुक्त अत्याचारी के दायित्व की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि लापरवाही में योगदान की सीमा तय की जा सके और उस हद तक मुआवजे की राशि को कम किया जा सके। एफआईआर में बताए गए दुर्घटना के तरीके से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दुर्घटना दोनों चालकों की समान अनुपात में लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि पहले तो वाहन को लापरवाही से चला रहे मिनी ट्रक का चालक खड़े ट्रक में धराशायी हो गया और एक अन्य ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या बी.आर.-14जी-1981 था, पीछे से तेज और लापरवाही से आ रहा था, जिससे दुर्घटना को टालने का अवसर था, अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और मिनी ट्रक में जा

घुसा। दी गई परिस्थितियों में, रेस एप्सा लोकिवटुर का सिद्धांत लागू होता है जिसका अर्थ है कि मामले की परिस्थितियां दुर्घटना के होने और दोनों ड्राइवरों की लापरवाही के बारे में आत्म-व्याख्यात्मक हैं।

21. उपरोक्त चर्चा और कारणों के मद्देनजर, मेरा दृढ़ विचार है कि ट्रिब्यूनल ने मुद्दा संख्या 3 और 4 पर निर्णय लेते समय रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की ठीक से सराहना नहीं की है, जिसे एतद्वारा अलग रखा गया है और यह माना जाता है कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला है और दोनों वाहनों के चालक वाहनों को समान अनुपात यानी 50:50 में चलाने में लापरवाही बरत रहे थे।
22. रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने दावेदार को ब्याज के साथ कुल पुरस्कार राशि को संतुष्ट किया है जो 50% की सीमा तक अपने चालक की अंशदायी लापरवाही के लिए उत्तरदायी पाया जाता है। इसलिए, ब्याज के साथ अवार्ड की कुल राशि का 50% प्रतिवादी नंबर 4 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भुगतान किया जाना है क्योंकि इस मामले में पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन साबित नहीं हुआ है।
23. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस अपील को ऊपर उल्लिखित सीमा तक अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी नंबर 4 को अपीलकर्ता द्वारा दावेदारों को भुगतान किए गए ब्याज के साथ दी गई राशि का 50% योगदान करने और इस आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।
24. तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है।
25. अपील दायर करने के समय अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई वैधानिक राशि अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी।
26. एलसीआर के साथ इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को वापस भेजी जाए।
27. लंबित अन्तरवर्ती आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपटाए जाते हैं।

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

तिथि:06/03/2024

पप्पू-ए.एफ.आर./

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।